न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/237 दायर दिनांक 28.12.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. बनी देवी पत्नि हनुमानाराम 2. गुलाबचन्द पुत्र हुनमानाराम जाति ब्राहाम्ण निवासीयान केराप ।	बनाम्	1. नानी देवी पुत्री हनुमानाराम 2. कानी देवी पुत्री हनुमानाराम 3. विमला देवी पुत्री हनुमानाराम 4. मोहनी देवी पुत्री हनुमानाराम निवासी केराप 5. अशोक पुत्र विनोद कुमार नाबालिग 6. मनीषा पुत्री विनोद कुमार 7. उर्मिला पत्नि विनोद स्वंय व नाबालिग कुदरती वलिया अशोक व मनीषा की माता उर्मीला स्वर्गीय विनोद निवासी जसरासर, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर 8. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक **14.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित कि खेत खसरा सख्यां 238 रकबा 20.15 बीघा वाके सरहद सागु कलॉ व खेत खसरा सख्या 115 रकबा 14.01 बीघा खसरा संख्या 123 रकबा 18.17 बीघा खसरा संख्या 124/868 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 579 रकबा 8.18 बीघा व खसरा नम्बर 828 रकबा 4. 01 बीघा कुल 48.17 बीघा वाके सरहद केराप की खातेदारी वादी नम्बर 02 गुलाब चन्द्र व प्रतिवादी नम्बर 05 ता 07 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्जहै। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 एक ही परिवार के है। कि हनुमानराम की मृत्यु के बाद उसकी जगह खातेदारी उसके दो पुत्रो गुलाबचन्द्र व विनोद के नाम से दर्ज हो गयी । जबकि हनुमानराम के चार लडकिया नानी देवी विमला देवी मोहनी देवी व हनुमानराम की पत्नि बनी देवी भी मौजदु थी इन सभी के नाम से खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी तथा उक्त खेतो में वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा कानूनन है। वादी नम्बर 01 उक्त खेतो की खातेदारी मे अपना व अपनी पुत्रीयों की खातेदारी की घोषणा करवाकर रेकर्ड में दुरूस्ती करवाना चाहती है, जिसकी कि वह कानून हकदार है। अत. वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

उक्त खेतों में वादी सं0 01 का 1/7, वादी सं0 2 का 1/7, प्रतिवादी सं0 01 का 1/7, प्रतिवादी सं0 .2 का 1/7, प्रतिवादी सं0 03 का 1/7, प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/237
दायर दिनांक 28.12.2015, निर्णय दिनांक 14.06.2017
बनी देवी बनाम नानी देवी वगैरा।

सं0 04 का 1/7 व प्रतिवादी सं0 .5 ता 07 का 1/7 हक हिस्सा के जायज व कानूनी हकदार है। प्रतिवादी नम्बर 05 व 06 के पिता विनोद कुमार की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नि प्रतिवादी नम्बर 07 उर्मिला ग्राम जसरासर अपने दोनो नाबालिग बच्चो को लेकर नाते चली गयी तथा वहाँ पर उसके एक पुत्र का भी जन्म हुआ है। प्रतिवादी मनिषा करीब 6 वर्ष व प्रतिवादी अशोक करीब 3.1/2 वर्ष का है। प्रतिवादी नम्बर 07 का खातेदारी मे नाम होने से उसके मन मे लालच आ गया है। और दुसरे लागो से मिली भगत कर उक्त खेतो के 1/2 हिस्से का बेचाण /हस्तानान्तरण अन्य को करने पर उतारू है। जिसका की उसका कोई हक अधिकारी नही है। क्योकि उक्त खेतो में वादी नम्बर 01 व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 का भी हक अधिकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 05 व 06 भी वादीगण के परिवार से हैं । जिनका हक हिस्सा भी उनकी नाबालिंगका फायदा उठाकर उनको भी उनके हिस्से से महरूम रखना चाहती है। जिसके कारण वादीगण के जायज अधिकारी खतरे मे पड गये है। और उन्हें अजहद नुकसान होने की संभावना गयी है। वादीगण प्रतिवादी नम्बर 07 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है, अत वादीगण को दावा बबात स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

यह घोषणा की जावे कि खेत खसरा संख्या 238 रकबा 20.15 बीघा वाके सागु कलॉ व खेत खसरा संख्या 115 रकबा 14.01 बीघा खसरा संख्या 123 रकबा 18.17 बीघा, खसरा संख्या 124/868 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 579 रकबा 8.18 बीघा व खसरा संख्या 828 रकबा 4.01 बीघा वाके सरहद केराप की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/7, 1/7 हिस्सा है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प केराप में पेश हुआ। पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पक्षकारान सम्पूर्ण खसरे में से 1/7, 1/7 हिस्सा घोषित किये जाने पर सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर खसरा संख्या 238 रकबा 20.15 बीघा वाके सागु कलॉ व खेत खसरा संख्या 115 रकबा 14.01 बीघा खसरा संख्या 123 रकबा 18.17 बीघा, खसरा संख्या 124/868 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 579 रकबा 8.18 बीघा व खसरा संख्या 828 रकबा 4.01 बीघा वाके सरहद केराप की खातेदारी वादीगण सं0 01 व 02 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 05 ता 07 के 1/7 हिस्सा घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **14.06.2017** को राजस्व लोक अदालत **न्याय** आपके द्वार कोर्ट कैम्प केराप में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/237** — दायर दिनांक **28.12.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बनी देवी पत्नि हनुमानाराम 2. गुलाबचन्द पुत्र हुनमानाराम जाति ब्राहम्ण निवासीयान केराप ।	बनाम्	1. नानी देवी पुत्री हनुमानाराम 2. कानी देवी पुत्री हनुमानाराम 3. विमला देवी पुत्री हनुमानाराम 4. मोहनी देवी पुत्री हनुमानाराम निवासी केराप 5. अशोक पुत्र विनोद कुमार नाबालिग 6. मनीषा पुत्री विनोद कुमार 7. उर्मिला पत्नि विनोद स्वंय व नाबालिग कुदरती वलिया अशोक व मनीषा की माता उर्मीला स्वर्गीय विनोद निवासी जसरासर, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर 8. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा संख्या 238 रकबा 20.15 बीघा वाके सागु कलॉ व खेत खसरा संख्या 115 रकबा 14.01 बीघा खसरा संख्या 123 रकबा 18.17 बीघा, खसरा संख्या 124/868 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 579 रकबा 8.18 बीघा व खसरा संख्या 828 रकबा 4.01 बीघा वाके सरहद केराप की खातेदारी वादीगण सं0 01 व 02 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 05 ता 07 के 1/7 हिस्सा घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2017 कैम्प कोर्ट केराप में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner